



कार्यालय अधिष्ठाता छात्र कल्याण

सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय

मेरठ- 250 110 (उ० प्र०)

डॉ०डी०के० सिंह
अधिष्ठाता छात्र कल्याण

पत्रांक : सवप/अ०छा०क०/2026/14592
दिनांक : 13.10.2026

नोटिस

विश्वविद्यालय परिसर में अवस्थित कैन्टीन को संचालित किये जाने हेतु आवंटन की तिथि से एक वर्ष के लिए मासिक किराए के आधार पर सील बंद कुटेशन दिनांक 29.10.2026 सांय 05:00बजे तक पोस्ट द्वारा अधिष्ठाता छात्र कल्याण विभाग/अध्यक्ष समिति कार्यालय में आमंत्रित की जाती है।

क्र०स०	फर्म का नाम	कार्य का विवरण	प्रति माह किराये की दर (सभी करों सहित)
01		विश्वविद्यालय परिसर में अवस्थित कैन्टीन को संचालित किये जाने हेतु आवंटन की तिथि से एक वर्ष के लिए मासिक किराए के आधार पर सील बंद कुटेशन	

नोट :-कैन्टीन का बेस किराया रू० 10,000.00/- (रुपये दस हजार) प्रतिमाह निर्धारित है इसलिये अधिकतम किराया देने वाली फर्म को ही कैन्टीन का आवंटन होगा। विद्युत उपभोग का व्यय वास्तविक मीटर रीडिंग के अनुसार अलगसे देय होगा।

कुटेशन आमन्त्रित करने हेतु आवश्यक शर्तें एवं नियम-

- (क) फर्म के फूड लाइसेंस नम्बर की छाया प्रति
(ख) फर्म/प्रोपराईटर के पेन कार्ड नम्बर की छायाप्रति
(ग) फर्म के जी०एस०टी०नम्बर की छायाप्रति
(घ) फर्म/प्रोपराईटर के गत वर्ष के आई०टी०आर० की छायाप्रति
- कुटेशन प्राप्ति की तिथि के उपरान्त प्राप्त कुटेशन निरस्त मानी जायेगी।
- रात्रि 10.00 बजे तक ही कैन्टीन खुली रहेगी।
- किसी भी समय कैन्टीन पर बाहरी व्यक्तियों का आना जाना व बैठना प्रतिबन्धित रहेगा।
- कैन्टीन का बेस किराया रू० 10,000.00/- (रुपये दस हजार) प्रति माह निर्धारित है इसलिए अधिकतम किराया देने वाली फर्म को ही कैन्टीन का आवंटन किया जायेगा। विद्युत उपभोग का व्यय वास्तविक मीटर रीडिंग के अनुसार अलग से देय होगा।
- आंवटित फर्म को बेस रेट अथवा एच-1 की धनराशि (जो भी अधिक हो) का 10 प्रतिशत की सुरक्षा धनराशि विश्वविद्यालय के खाते में जमा करना अनिवार्य होगा। जिसे संतोषजनक सेवा पूरा होने के उपरान्त बिना ब्याज के फर्म को वापस किया जायेगा।
- कार्य आवंटन के एक सप्ताह के भीतर फर्म एवं विश्वविद्यालय के मध्य अनुबन्ध (MOU) किया जायेगा। जिसे संतोषजनक सेवा होने की स्थिति में ही सेवा विस्तार हेतु समिति द्वारा विचार किया जा सकेगा। नवीनीकरण होने की स्थिति में किराये में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी। असंतोषजनक सेवा दिये

10/11

जाने पर कैन्टीन का आवंटन रद्द करने का अधिकार सक्षम अधिकारी में निहित होगा एवं सेवा प्रदाता द्वारा जमा की गई सुरक्षा धनराशि को जप्त कर लिया जायेगा।

8. समस्त प्रकार के कर की देयताओं को वहन करने की जिम्मेदारी सेवा प्रदाता की होगी।

9. Following facilities /infrastructures shall be provided by the University-

- a) Two Canteen halls and one Kitchen.
- b) Supply of water in the Kitchen and canteen premises.
- c) Standard illumination equipments in canteen area, in case of any extra illumination or any extra electrical equipments is needed by the contractor, in that case the contractor will arrange on its own.
- d) Furniture such as tables and chairs will be provided by the University. However, the said Furniture must be in viable condition at the time of returning back to the University by the contractor.
10. Contractor shall be responsible to take care of the items provided by the University.
11. Cleanliness and hygiene of canteen and its surroundings shall be responsibility of the contractor.
12. Standard quality and quantity of food items will be maintained the allotted firm.
13. Contractor shall display the approved menu and rates of food items prominently in the canteen.
14. Crockery, cutlery and utensils or disposables shall be the responsibility of canteen operator.
15. Packaged items must be FSSAI and AGMARK to be sold not more than MRP. Other items to be used like pulses, floor, rice, Ghee, oil, milk, milk made items, tea and coffee etc. must also be approved by the FSSAI and AGMARK.
16. The contractor will have to obtain general insurance against risk, fire accident for his belonging etc. for the Canteen services and his workmen including that of kitchen etc.
17. Hard drinks and tobacco in any form shall not be allowed in the University under any circumstance and no party arrangement shall be made without the prior approval of the Registrar.
18. Period of Agreement: Subject to other conditions appearing hereinafter, the contract shall be for a period of one (01) year extendable for another year from the date of entering into contract based on the satisfactory performance.
19. The contractor will not transfer or sublet the contract.

The contractor will not make any kind of excavation or construction including alteration or modification in the premises, without the permission of competent authorities of the University and further he shall have no right to use University property for his employee's personal purpose.


अधिष्ठाता छात्र कल्याण

प्रतिलिपि :-

1. समस्त समिति सदस्य।
2. वित्त नियंत्रक महोदय को सूचनार्थ।
3. प्रभारी अधिकारी, आई0टी0 सैल का इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त नोटिस का विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
4. जनसम्पर्क अधिकारी को माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।